कॉमन सभा :- (HOCs)

ब्रिटिश संसद के उच्च सदन ~~हाउस ऑफ कामन्स~~ HOL की शक्तियों में कमी के कारण HOCs आज काफी शक्तिशाली हो गई है। इसलिए ब्रिटिश संसद का अभिप्राय 'कामन सभा' से है।

कामन सभा की रचना :- यह ब्रिटिश संसद का लोकतंत्रीय सदन है जिसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। HOCs व्यस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित 630 प्रतिनिधियों से बनती है, इनमें से 550 इंग्लैंड के, 71 स्कॉटलैंड के, 36 वेल्स के, एंव 12 उत्तरी आयरलैंड के प्रतिनिधि होते हैं।

18 वर्ष या उससे ऊपर का व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है।

HOCs के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में निम्न योग्यता होनी चाहिए -

1. वह ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए।
2. उसकी आयु 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए।
3. उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो।
4. पागल या दिवालिया उचित न हो।
5. पियर और ताज के अधीन पद धारण करने वाले HOCs के सदस्य नहीं बन सकते।

HOCs के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार -

1. सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है तथा उससे संबंधित किसी भी वक्तव्य पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।
2. उन्हें किसी भी दिवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

3. कामन सभा के सदस्य स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट या महारानी तक पहुंचा सकते हैं।
4. सदन को अपनी कार्यवाही के नियंत्रण का अधिकार है।
5. विशेषाधिकार के उल्लंघन पर सदस्य दंडित हो सकते हैं।
6. सदन किसी सदस्य की अयोग्यता के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव रद्द कर सकता है।

- HOCs का अध्यक्ष स्पीकर होता है। जो सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है।

स्पीकर के कार्य :- 1. सदन से संबंधित नियमों की व्याख्या करना।
2. किसी भी विषय पर निर्णायक मत देने का अधिकार है।
3. स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
4. विधेयकों से संबंधित परिणामों की घोषणा करती है।
5. सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।
6. उत्सवों तथा समारोहों पर सदन का प्रतिनिधित्व करता है।
7. सदन के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है।

- कामन सभा के अधिकार एवं शक्तियां - कामन सभा ब्रिटिश लोकतंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका कार्य राष्ट्रसत्ता और जन स्वतंत्रता के बीच तालमेल बैठाना है। HOCs की प्राप्त शक्तियां -

1. विधायी शक्तियां - कानून का निर्माण करना एवं संशोधन करना। कामन सभा द्वारा पास विधेयक को HOLs एक वर्ष तक रोक सकती है इस अवधि के पश्चात वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है।
2. कार्यपालिका पर नियंत्रण - कार्यपालिका या मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए HOCs के प्रति

Scanned with CamScanner

उत्तरदायी होता है। HOCs के सदस्यों द्वारा ही मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वे उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तथा निन्दा प्रस्ताव पास कर सकते हैं।

3. वित्तीय शक्तियां - धन विधेयक के बारे में सारी शक्तियां HOCs के पास है। धन विधेयक का निर्णय की अन्तिम स्वीकर का होता है। धन विधेयक सबसे पहले HOCs में प्रस्तुत किया जाता है। HOCs में पास कर देगा, उस रूप में यह अंतिम समझा जायेगा। HOLs धन विधेयक को पास कर देती है। ब्रिटिश महारानी का हस्ताक्षर केवल औपचारिकता है।

4. अन्य शक्तियां - 1. HOCs में जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं अतः यह जनमत को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। जनता की शिकायतों और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति HOCs के द्वारा की जाती है।

2. लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है।

3. वह विभिन्न मंत्रालयों को इस बात के लिए विवश करती है कि आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके।

Seema Kumari
Asst. Prof. (Pol. Sc.).
RMC, Rohtas (Sasaram).

Scanned with CamScanner